कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।

संख्या 5/जि0आ0अधि0/दु0व्य0/ई लाटरी 2018/बलरामुपर/दिनांक अप्रैल 04, 2018

विज्ञप्ति

वर्ष 2018–19 के लिए प्रथम चरण व द्वितीय चरण में ई–लाटरी के उपरान्त व्यवस्थापन से अवशेष जनपद बलरामपुर की देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन

सर्व साधाराण को सूचित किया जाता है कि सुसंगत नियमावलियों एवं आदेशों के अधीन वर्ष 2018–19 के लिए जनपद बलरामुपर की प्रथम चरण व द्वितीय चरण की ई–लाटरी के उपरान्त अवशेष 13 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकनों का व्यवस्थापन ई–लाटरी प्रणाली द्वारा दुकान वार किया जायेगा। किसी दुकान के लिए आवेदन कर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सहआवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगें। किसी भी आवेदक के पक्ष में (स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ) एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप्स) कुल मिलाकर 02 से अधिक दुकाने आवंटित नही की जायेगी। यदि किसी को प्रथम चरण व द्वितीय चरण में दुकान का आवंटन हुआ है तो जितनी दुकान का आवंटन हआ है उनको 02 से घटाकर ही दुकानों का आवंटन किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आन लाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे।

उपरोक्तानुसार दुकान के आवेदन पत्र हेतु आन लाइन वैबसाइट **www.upexciseelottery.gov.in** पर प्रोसेसिंग फीस एवं प्रोसेसिंग फीस पर देय जी0एस0टी0 आन लाइन जमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार देय धरोहर धनराशि (देशी मदिरा दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत एवं विदेशी मदिरा, तथा बीयर लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति, फोटो, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, नवीनतम आयकर विवरणी, पैन काड, वॉछित धनराशि का वैध हैसियत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आन लाइन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदन कर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त देय धनराशि अथवा वॉछित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ जमा नही किये जाते है तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगें। चयनित आवेदकों द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि आवंटित दुकान की देय बेसिक / लाइसेंस फीस में समायोजित कर ली जायेगी। ई–लाटरी से सम्बन्धित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट **www.upexciseonline.in** पर प्रदर्शित किया गया है।

प्रथम व द्वितीय चरण में व्यवस्थापन के उपरान्त अवशेष देशी शराब, दुकानों की सूची एवं विवरण निम्नवत् है–

देशी शराबः–

क.	देशी शराब दुकान का नाम	प्रास्थिति	वार्षिक एम0जी0क्यू0, (36 प्रतिशत वी/वी0 के टर्म में)	बेसिक लाइसेंस फीस, रू0 में	लाइसेंस फीस, रू0 में	धरोहर धनराशि, रू0 में	प्रतिभूति धनराशि, रू0 में	आवेदक एवं सह आवेदक (यदि कोई है)की वॉछित हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	धुसाह	ग्रामीण	33480	937440	7432560	93744	743256	1395000
2	बिशुनापुर	ग्रामीण	29160	816480	6473520	81648	647352	1215000
3	पचपेडवा नं0–2	नगर पंचायत	20952	586656	4651344	58665.6	465134.4	873000
4	बहादुरापुर	ग्रामीण	12960	362880	2877120	36288	287712	540000
5	जनकपुर	ग्रामीण	8856	247968	1966032	24796.8	196603.2	369000
6	आदमडीह	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
7	भगवानपुर खादर	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
8	मंगहाकला	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
9	गैजहवा	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
10	गोकुली	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
11	कुडी	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
12	ककरा	ग्रामीण	11340	317520	2517480	31752	251748	472500
13	सिसई	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000

वर्ष 2018–19 के लिए प्रथम व द्वितीय चरण के व्यवस्थापन के उपरान्त उपरोक्त अवशेष देशी मदिरा फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणीः

1	जनपद की देशी शराब, के वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थित करने के लिए आन लाइन आवेदन करने की अवधि 07.04.2018 की प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 12.04.2018 को रात्रि 11.30 बजे तक और ई लाटरी दिनांक 16.4.2018 को प्रातः 09.00 बजे से	दिनांक 07.04.2018 को प्रातः 10.00 बजे से
2	ई लाटरी हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 12.04.2018 को रात्रि 11.30 बजे तक
3	ई लाटरी की तिथि व समय एवं स्थल	16.04.2018 को प्रातः 9 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार बलरामपुर।

नोटः– ई–लाटरी से सम्बन्धित किसी पृच्छाओं के समाधान के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के मोबाइल नम्बर 9454466245, 9454466246, 9454465642, 9532996258,, 9454467054 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

(हस्ताक्षर) 6.4.18
जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर।

(हस्ताक्षर)
जिलाधिकारी
बलरामपुर।

संख्या 05(1-))/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान जनपद बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में डी0ए0वीपी0 दर पर न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
2.

(हस्ताक्षर) 6.4.18
जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर।